

**न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी**  
**जिला-अशोकनगर (म.प्र.)**

**दांडिक प्रकरण कं.-303/14**  
**संस्थापित दिनांक-05.06.2014**  
Filling no-235103002432014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर। .....अभियोजन
<b>विरुद्ध</b>
1- जयकुमार पुत्र कुंवरराज यादव उम्र 22 साल 2- कुंवरराज पुत्र थोवन सिंह यादव उम्र 61 साल 3- मानकुंवरबाई पत्नी कुंवरराज यादव उम्र 58 साल निवासीगण- सिंहपुर चाल्दा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर .....आरोपीगण

**-: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 03.08.2017 को घोषित)**

**01-** अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 323/34, 324/34, 504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 19.04.2014 को समय सुबह 9 बजे फरियादी के घर के पास ग्राम सिंहपुर चाल्दा में फरियादी या गीताबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादिया को अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर डण्डे से मारपीट कर साधारण उपहति कारित की तथा बृजभान की मारपीट का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रशरण में आपने/सहअभियुक्त द्वारा बृजभान को धारदार वस्तु से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी को अपमानित करने के आशय से उसे प्रकोपन कारित किया।

**02-** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 03.08.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण जयकुमार, कुंवरराज, मानकुंवरबाई को भा.द.वि की धारा 294, 323/34, 504 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

**03-** अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया गीताबाई ने अपने लडके बृजभान के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि 19.04.2014 को सुबह 9 बजे वह अपने घर के पास थी तभी उसके परिवार के जयकुमार,

कुंवरराज, जगपाल, मानकुंवर चारो आए और जमीन के बटवारे के विवाद पर से उसे गालियां देने लगे, उसने गालियां देने से मना किया तो जयकुमार ने लाठी मारी सिर में लगी खून निकल आया, कुंवरराज ने डण्डा मार दिया दाहिने हाथ में लगा मुंड़ी चोट आई, लडका बृजभान आया उसके जगपाल ने सिर में मारा, गवाह कलेक्टर सिंह है। भवानी सिंह ने उसे बचाया था। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

**04—** अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**05—** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

<b>1.</b>	क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19.04.2014 को समय सुबह 9 बजे आहत बृजभान की मारपीट का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रशरण में आपने/सहअभियुक्त द्वारा बृजभान को धारदार वस्तु से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
-----------	---

### **:: सकारण निष्कर्ष ::**

**06—** अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादिया गीताबाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना करीब 3 साल पहले की होकर सुबह 9 बजे की है। घटना दिनांक को उसके परिवार के जयकुमार, कुंवरराज, जयपाल, मानकुंवर बाई चारो से जमीन के घरू बटवारे को लेकर गाली गलौच एवं वाद विवाद हो गया था। उक्त वाद विवाद में उसे मामूली चोट आ गई थी, जब उसका लडका बृजभान बीच बचाव करने आया तो बीच बचाव करने में बृजभान स्वयं फिसलकर पत्थर पर गिर जाने से चोट आ गई थी जिसके संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, पुलिस ने घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी.2 उसके समक्ष तैयार किया था। पुलिस ने उसकी तथा बृजभान की चोटों का शासकीय अस्पताल चंदेरी में इलाज कराया था एवं पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

**07—** अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से

इंकार किया कि जयकुमार ने उसके सिर में लाठी मारी खून निकल आया, कुंवरराज ने डण्डा मारा था दाहिने हाथ में लगी मुंदी चोट आई। इस बात से इंकार किया कि लडका बृजभान बचाने आया तो उसके जगभान ने सिर में मारा। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 व पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण आरोपीगण को बचाने के लिये असत्य कथन कर रही है।

**08—** अभियोजन साक्षी बृजभान अ0सा02, रामसिंह अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानते हैं। साक्षीगण का कहना है कि घटना दिनांक को उनके परिवार के जयकुमार, कुंवरराज, जयपाल, मानकुंवर बाई चारों से जमीन के घर बटवारे को लेकर गाली गलौच एवं वाद विवाद गीताबाई से हो गया था। उक्त वाद विवाद में गीताबाई को मामूली चोट आ गई थी, बीच बचाव करने गये बृजभान अ0सा02 को स्वयं पत्थर पर फिसलकर गिरजाने से चोट आ गई थी, इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की।

**09—** अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि जयकुमार ने लाठी मारी सिर में लगी खून निकल आया, कुंवरराज ने डण्डा मार दिया दाहिने हाथ में लगा मुंदी चोट आई, लडका बृजभान आया उसके जगपाल ने सिर में मारा। साक्षी बृजभान अ0सा02, रामसिंह अ0सा03 को उनका पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 4 व 5 का ए से ए भाग पढकर सुनाने पर साक्षीगण का कहना है कि ऐसा कथन उन्होंने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकते।

**10—** अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विश्लेषण के आधार पर स्वयं फरियादी गीताबाई तथा आहत बृजभान द्वारा अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि स्वयं पत्थर पर फिसलकर गिरने से उसे चोट आ गई थी। आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19.04.2014 को समय सुबह 9 बजे आहत बृजभान की मारपीट का सामान्य आशय निर्मित किया जिसके अग्रशरण में आपने/सहअभियुक्त द्वारा बृजभान को धारदार वस्तु से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः आरोपी **जयकुमार, कुंवरराज, मानकुंवर बाई** के विरुद्ध धारा 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

**11—** अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0

का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

**12—** प्रकरण जप्तशुदा एक बांस की लाठी एवं एक बांस का डण्डा मूल्यहीन होने अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

**13—** अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।  
कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0